रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234262
SG-DL-E-17032022-234262

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 546
No. 179]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943	[N. C. T. D. No. 546

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय–I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मार्च, 2022

संख्या 16 / 2021–राज्य कर (दर)

सं. फा. 3(159) / वित्त (व्यय–I) / 2021–22 / डीएस–I / 170.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (व्यय–I) की अधिसूचना संख्या 12 / 2017– राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे 30 जून, 2017को सं. फा. 03(15) / वित्त (राजस्व–I) / 2017–18 / डीएस–VI / 380 दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,–

(i) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, ''या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3क के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, ''या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर उपरोक्त मद (ख) और (ग) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा'';

(iv) क्रम संख्या 17 के समक्ष, कॉलम (3) में, शीर्षक 'सेवा का वर्णन' में, मद (ड.) के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत अधिसूचित सेवाओं पर, उपरोक्त मद (ड.) में शामिल कुछ भी लागू नहीं होगा'' ।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी 2022 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम,

मनोज कुमार, उप सचिव–I (वित्त)

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017 – राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017को सं. फा. 03(15)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस– VI/380, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 7/2021– राज्य कर (दर), दिनांक 10 मार्च, 2022, सं0फा0 03(151)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस–I/138 , दिनांक 10 मार्च, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th March, 2022

No. 16/2021-State Tax (Rate)

No. F. 3(159)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/170.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-I) No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the TABLE, -

(i) against serial number 3, in column (3),in the heading " Description of Services" , the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;

(ii) against serial number 3A, in column (3), in the heading " Description of Services ", the words "or a Governmental authority or a Government Entity" shall be omitted;

(iii) against serial number 15, in column (3), in the heading " Description of Services ", after item (c), the following shall be inserted, namely, -

"Provided that nothing contained in items (b) and (c) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).";

(iv) against serial number 17, in column (3), in the heading " Description of Services ", after item (e), the following shall be inserted, namely, -

"Provided that nothing contained in item (e) above shall apply to services supplied through an electronic commerce operator, and notified under sub-section (5) of Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)."

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of January, 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy. -I (Finance)

Note: The principal notification was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary Part-IV, vide notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and last amended by notification No. 07/2021 - State Tax (Rate), dated the 10th March, 2022 vide number F.3(151)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/138, dated the 10th March, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.17 15:59:58 +05'30'